प्रारंभिक परीक्षा

चमगादड़ कैसे भारी संख्या में गुफाओं से बाहर निकलते समय टकराव से बचते हैं

संदर्भ
एक नए अध्ययन से पता चला है कि बड़े समूहों में उड़ते समय चमगादड़ टकराव से बचने के लिए किस प्रकार समायोजित इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।

चमगादड़ टकराव से कैसे बचते हैं?
- चमगादड़ सुरक्षित उड़ान भरने के लिए ध्वनि (**इकोलोकेशन**) का उपयोग करते हैं।
- जब बहुत सारे चमगादड़ एक साथ इकोलोकेशन करते हैं, तो उनकी आवाज़ें आपस में मिल जाती हैं, जिससे इकोलोकेशन जैमिंग (**echolocation jamming**) नामक घटना होती है।
- तीव्र जैमिंग के बावजूद, चमगादड़ अपने व्यवहार और इकोलोकेशन रणनीति को अनुकूलित करके मध्य-हवा में टकराव से बचते हैं। इसके लिए वे दो तरीके अपनाते हैं:
    - घनत्व कम करने के लिए फैल जाना।
    - छोटी, कमज़ोर, उच्च आवृत्ति वाली कॉल।

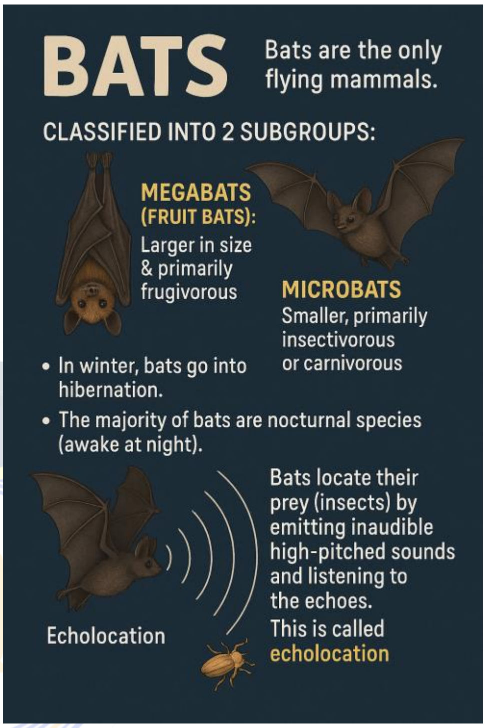

अन्य जानवर जो इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं:
- **डॉल्फ़िन** - मछली ढूँढ़ने और पानी के नीचे नेविगेट करने के लिए।
- **दंतयुक्त व्हेल** - शिकार का पीछा करने और बाधाओं से बचने के लिए।
- **ऑयलबर्ड और स्विफ्टलेट्स** - अंधेरी गुफाओं में उड़ने के लिए।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न . निम्नलिखित पर विचार कीजिए: (2014)
1. चमगादड़
2. भालू
3. कृन्तक (रोडेन्ट)

उपर्युक्त में से किस प्रकार के जन्तु में शीतनिष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3
(d) शीतनिष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी प्रेक्षित नहीं की जा सकती

उत्तर: C

स्रोत: [The Hindu - Echolocation]

भारत के कपास उत्पादन में संकट

संदर्भ

2024-25 में भारत का कपास उत्पादन घटकर 294 लाख गांठ रह गया है। यह 2008-09 (290 लाख गांठ) के बाद सबसे कम है।

कपास के बारे में -

- **कपास एक खरीफ फसल है। इसे मुख्य रूप से इसके रेशे (कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है) और बीज (तेल और चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है) के लिए उगाया जाता है।**
- किसानों और कपड़ा उद्योग के लिए इसके आर्थिक महत्व के कारण इसे "**सफेद सोना (व्हाइट गोल्ड)"** भी कहा जाता है।
- **भारत विश्व स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, कुल वैश्विक कपास उत्पादन में इसका योगदान 23% है।**
- **कपास की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ** -
    - समान रूप से उच्च तापमान (21°C से 30°C) के साथ गर्म, शुष्क जलवायु
    - कम से कम **200 दिनों** की पाला-मुक्त अवधि
    - मध्यम वर्षा (**50-100 सेमी**)।
- **भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य:** (1) गुजरात (2) महाराष्ट्र (3) तेलंगाना

भारत में कपास उत्पादन क्यों घट रहा है?

- **पिंक बॉलवर्म (PBW)**
    - पिंक बॉलवर्म एक कीट है जिसके लार्वा कपास के बीजकोष (फलों) को नुकसान पहुंचाते हैं, बीज और लिंट (कपास फाइबर) को नष्ट कर देते हैं।
    - इसने बीटी कपास (भारत में इस्तेमाल की जाने वाली जीएम किस्म) के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है।
- **कोई नया जीएम अनुमोदन नहीं**
    - मौजूदा बीटी कपास (cry1Ac और cry2Ab जीन के साथ) अब **अप्रभावी** है।
    - भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित नए जीएम संकर विनियामक परीक्षणों में फँसे हुए हैं।
    - विरोध और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण **2006** के बाद से किसी भी जीएम फसल का व्यवसायीकरण नहीं किया गया है।
- **जलवायु परिवर्तन**: अनियमित वर्षा, बेमौसम बारिश और लंबे समय तक सूखा पड़ने से कपास की वृद्धि प्रभावित होती है।
- **कम लाभप्रदता**: **इनपुट लागत** (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) में वृद्धि।
- **मोनोक्रॉपिंग और खराब फसल चक्र**: बिना चक्रानुक्रम (rotation) के लगातार कपास की फसल उगाना → **मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी** और **कीटों का जमाव।**

स्रोत: [Indian Express - Cotton]

समाचार संक्षेप में

अनुच्छेद – 311

- **हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद-311(1) राज्य कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी अनिवार्य नहीं करता है।**
- बर्खास्तगी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद-311 के बारे में -

- यह सरकार द्वारा मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनत किए जाने के विरुद्ध सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें संघ और राज्य दोनों के अंतर्गत सिविल पद शामिल हैं।
  - **अनुच्छेद-311(1):** सिविल सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता।
  - **अनुच्छेद-311(2):** सिविल सेवा के सदस्यों को जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद बर्खास्त, हटाया या पद में घटाया जा सकता है।

स्रोत: Live Law - Article 311

कांचा गाचीबोवली

- यह हैदराबाद के गाचीबोवली में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) परिसर क्षेत्र के भीतर 400 एकड़ भूमि का टुकड़ा है।
- यह एक अछूता हरित क्षेत्र है, जो समृद्ध जैव विविधता का घर है और 20 से अधिक वर्षों से अछूता रहा है।
- **स्वामित्व का मुद्दा:**
  - छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय के अनुसार कांचा गचीबोवली विश्वविद्यालय के मूल परिसर की भूमि का हिस्सा है, जिसे 1974 में प्रदान किया गया था।
  - सरकार इस दावे से इनकार करती है।
  - हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भूमि की नीलामी करने और वन क्षेत्र को साफ करने का फैसला किया है।

स्रोत: The Hindu - Kancha Gachibowli

यूजीसी (विदेशी योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना) विनियम, 2025

- हाल ही में यूजीसी ने भारत में उपयोग के लिए विदेशी शैक्षिक योग्यताओं (डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र) को मान्यता देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और औपचारिक बनाने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
- यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ (**AIU**) द्वारा प्रबंधित मौजूदा प्रणाली की जगह लेता है।

समकक्षता प्रमाणपत्र(Equivalence Certificate) के बारे में -

- **समकक्षता प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि एक विदेशी शैक्षिक योग्यता - जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र - शैक्षणिक स्तर और मूल्य में भारतीय योग्यता के बराबर है।**
- **कोई विदेशी योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र) समकक्षता के लिए पात्र है यदि:**
  - प्रमाणपत्र देने वाली संस्था को अपने देश के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है।
  - कार्यक्रम के प्रवेश मानदंड (क्रेडिट, थीसिस, इंटर्नशिप, आदि) समान भारतीय योग्यताओं के बराबर हैं।
  - छात्र को विदेशी संस्थान के मानदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

- ○ विदेशी संस्थानों के अपतटीय परिसरों से प्राप्त योग्यताओं को भी मान्यता दी जा सकती है।

स्रोत: Indian Express - Equivalence Certificate

प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025

- हाल ही में UNCTAD (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की है।
- यह मूल्यांकन करता है कि देश AI, रोबोटिक्स, IoT आदि सहित अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए कैसे तैयार हैं और उनमें कैसे निवेश कर रहे हैं।

भारत के प्रदर्शन के बारे में -

- निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश में भारत दुनिया भर में 10वें स्थान पर है।
- इसे 2023 में AI फंडिंग में $1.4 बिलियन प्राप्त हुआ।
- भारत और चीन महत्वपूर्ण AI निवेश वाले एकमात्र विकासशील देश हैं।
- **फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स (2024):**
  - **भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर है, जो 2022 में 48वें स्थान से सुधार है।**

स्रोत: News on Air - Tech & Innovation report

वाट फो मंदिर

- अपनी हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाट फो मंदिर का दौरा किया।

वाट फो मंदिर के बारे में -

- **यह बैंकॉक के रतनकोसिन द्वीप में स्थित एक बौद्ध मंदिर है।**
- इसे **16वीं शताब्दी में एक मठ के रूप में बनाया गया** था और **1788 में राजा राम-I द्वारा इसका जीर्णोद्धार** किया गया था, जिन्होंने बैंकॉक को थाईलैंड की राजधानी के रूप में स्थापित किया था।
- **यह मंदिर विशाल लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसमें बुद्ध को परिनिर्वाण में प्रवेश करते हुए दर्शाया गया है।**

स्रोत: PIB - Wat Pho

समाचार में स्थान

अल-फशर

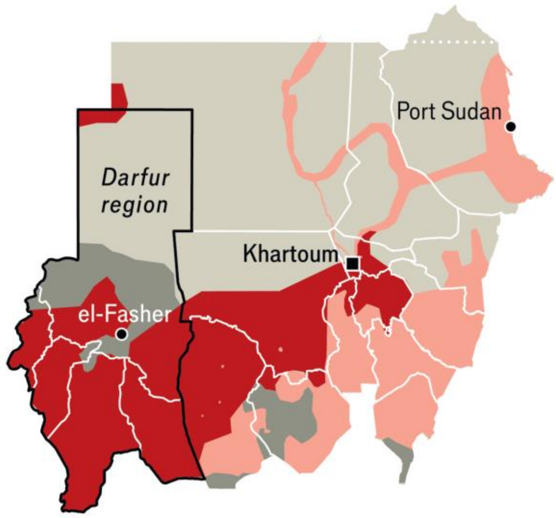

- **यह उत्तरी दारफुर की राजधानी है।**
- **यह दारफुर में एक प्रमुख सैन्य और रसद अड्डे के रूप में कार्य करता है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन(UNAMID) सहित मानवीय कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
- वर्तमान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (**RSF**) द्वारा घेराबंदी की जा रही है।
- वर्तमान में अल-फशर एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी है जो आरएसएफ के नियंत्रण में नहीं है।

स्रोत: The Hindu - El-Fasher

रीम नौसेना बेस

- हाल ही में कंबोडिया और चीन ने संयुक्त रूप से दक्षिण-पश्चिमी कंबोडिया के सिहानोकविले में पुनर्निर्मित रीम नेवल बेस का उद्घाटन किया। इसे चीनी सहायता से उन्नत किया गया था।

- **यह कंबोडिया के दक्षिणी तट पर थाईलैंड की खाड़ी के पास स्थित है।**
- यह विवादित दक्षिण चीन सागर के निकट है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ चीन लगभग सभी प्रादेशिक जल पर अपना दावा करता है।
- यह बड़े नौसैनिक जहाजों और युद्धपोतों को डॉक करने में सक्षम है।

स्रोत: The Hindu - Ream Naval Base

संपादकीय सारांश

पुलिस यातना और (गैर)जवाबदेही

संदर्भ

हाल ही में, कॉमन कॉज (एनजीओ) ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के लोकनीति कार्यक्रम के साथ मिलकर पुलिस यातना और (गैर)जवाबदेही पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा यातना की परिभाषा (यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1984 के अनुसार - अनुच्छेद 1)

- यातना का अर्थ है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने, दंड देने, धमकी देने, जबरदस्ती करने या भेदभाव करने जैसे उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाना।
- **नोट**: इसमें केवल वैध प्रतिबंधों से उत्पन्न, उनमें निहित या आकस्मिक दर्द और पीड़ा शामिल नहीं है।

भारत में पुलिस हिंसा और अत्याचार की प्रकृति क्या है?

- **कठोर तरीकों की व्यापक स्वीकृति:** 55% पुलिस कर्मियों का मानना है कि भय पैदा करने के लिए "कठोर तरीकों" का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
    - 30% लोग गंभीर अपराधों के लिए थर्ड डिग्री विधियों को उचित ठहराते हैं; 9% लोग छोटे अपराधों के लिए भी ऐसा कहते हैं।
- **अतिरिक्त कानूनी कार्यवाही का औचित्य:** 22% लोग कानूनी मुकदमे की अपेक्षा खतरनाक अपराधियों को मारना पसंद करते हैं।
    - चार में से एक व्यक्ति यौन उत्पीड़न और बच्चा चोरी के मामलों में भीड़ द्वारा की गई हिंसा को उचित ठहराता है।
- **हाशिए पर पड़े समूहों को असंगत रूप से निशाना बनाया जाना:** पीड़ितों में बड़े पैमाने पर आदिवासी, दलित, मुसलमान, अशिक्षित व्यक्ति और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल हैं।
- **कानूनी निगरानी और जवाबदेही का अभाव:** गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं का अक्सर पालन नहीं किया जाता; कुछ राज्यों में, केवल 41% लोग ही "हमेशा" प्रक्रिया का पालन करते हैं।
    - 2018-22 के बीच हिरासत में मृत्यु के अनेक मामले सामने आने के बावजूद लगभग शून्य दोषसिद्धि।

अंतर्निहित कारण और योगदान कारक -

- **पुलिस व्यवस्था की औपनिवेशिक विरासत:** नियंत्रण, दबाव और भय की औपनिवेशिक युग की मानसिकता का निरंतर उपयोग।
- **जवाबदेही तंत्र का अभाव:** हिरासत में यातना या मृत्यु के लिए कोई प्रभावी दंड या निवारक उपाय नहीं।
    - आंकड़ों में विसंगतियां और पारदर्शिता का अभाव (उदाहरण के लिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा हिरासत में मृत्यु के अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करना)।
- **राजनीतिक एवं संस्थागत दबाव:** राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा "त्वरित परिणाम" देने का दबाव शॉर्टकट और जबरदस्ती को जन्म देता है।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** मानव अधिकारों और आधुनिक पूछताछ तकनीकों में प्रशिक्षण का अभाव..
- **न्यायपालिका और चिकित्सा परीक्षण की निष्क्रिय भूमिका:** मजिस्ट्रेट अक्सर "मूक दर्शक" की तरह कार्य करते हैं, हिरासत में दुर्व्यवहार के बारे में सवाल नहीं उठाते या उसका दस्तावेजीकरण नहीं करते।

    - **MLE** आमतौर पर नेत्र विशेषज्ञों, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट या सामान्य चिकित्सकों जैसे गैर-विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, जिससे निष्कर्षों की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

- **मेडिको-लीगल परीक्षा (MLE):** यह एक अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा है जो तब की जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, या उस पर अत्याचार या दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है।
    - **इसका संचालन कौन करेगा?**→ फोरेंसिक मेडिसिन में प्रशिक्षित सरकारी डॉक्टर (जैसे, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, मेडिको-लीगल ऑफिसर)

- **त्वरित न्याय के लिए जन समर्थन:** धीमी न्यायिक प्रक्रिया से जनता का मोहभंग होने के कारण पुलिस की ज्यादतियों के प्रति समाज में सहिष्णुता पैदा हो रही है।
- **यातना के विरुद्ध कोई स्वतंत्र कानून नहीं:** भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।
    - किसी विशिष्ट यातना-विरोधी कानून के अभाव के कारण दण्ड से मुक्ति जारी रहती है।

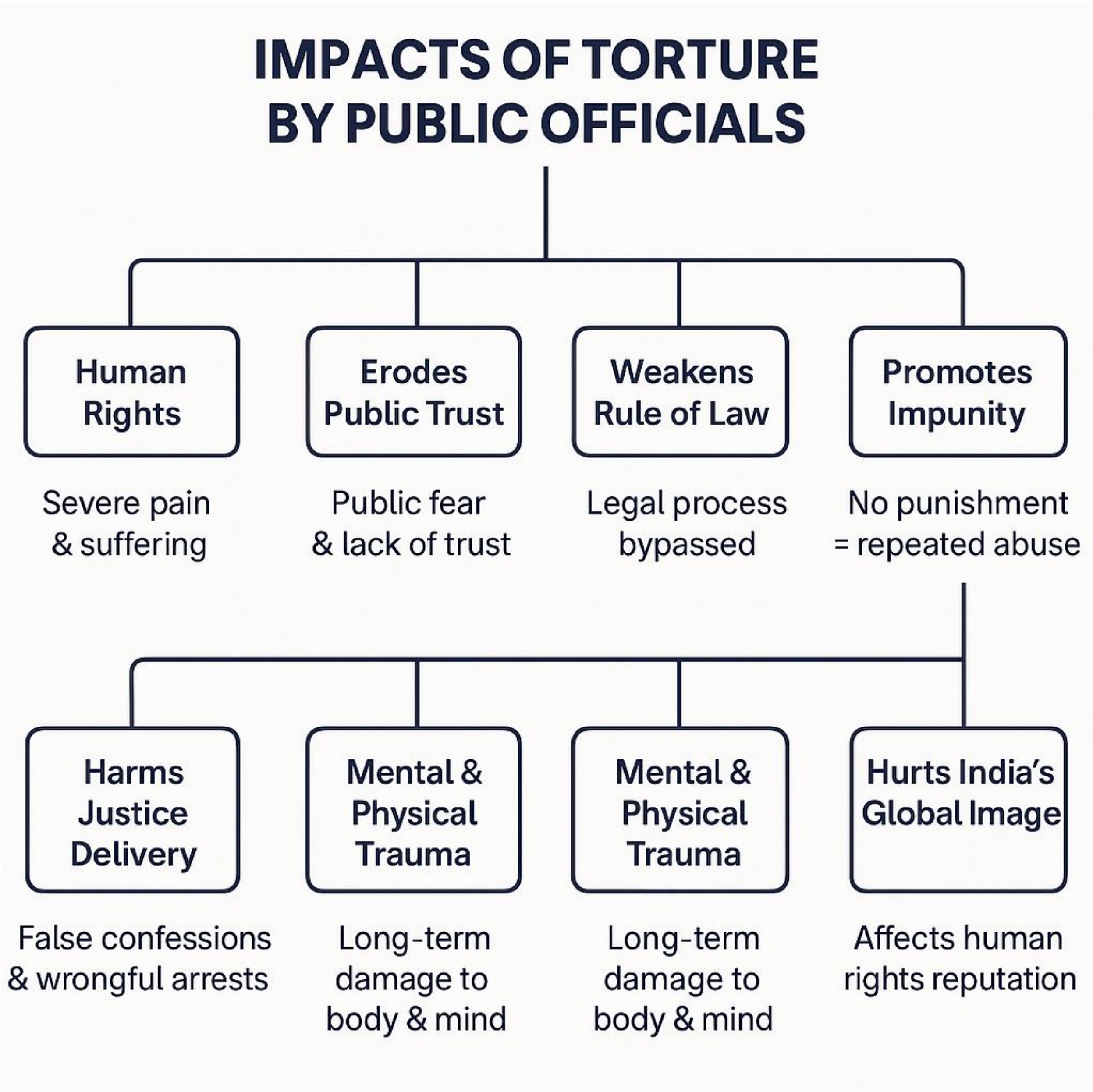

आगे की राह -

- **कानूनी और नीतिगत सुधार**: भारत को अभिसमय का अनुसमर्थन करना चाहिए तथा हिरासत में हिंसा को एक अलग अपराध के रूप में अपराध घोषित करने के लिए विशिष्ट यातना-विरोधी कानून बनाना चाहिए।
- **कानून और दिशा-निर्देशों में संशोधन करना**: पुलिस अधिनियम, 1861 को अद्यतन करना, तथा गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डी.के. बसु मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करना।
- **जवाबदेही तंत्र:** पुलिस दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना करना।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण मानवाधिकार प्रशिक्षण**: यातना की अवैधता और अनैतिकता के बारे में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकार कानूनों को शामिल करें।
- **आधुनिक पुलिस तकनीक**: पुलिस को अहिंसक पूछताछ पद्धति, फोरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी-संचालित अपराध जांच के लिए उपकरणों से सुसज्जित करना।

- **पुलिस का अराजनीतिकरण:** पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोगों को सशक्त बनाने जैसे उपायों को लागू करना।
- **कार्यभार में कमी:** जनशक्ति की कमी को दूर करें तथा कार्य स्थितियों में सुधार करें, ताकि तनाव को कम किया जा सके, जो अक्सर हिंसक व्यवहार का कारण बनता है।
- **सामुदायिक पुलिसिंग में जमीनी स्तर पर भागीदारी:** सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल अपनाएं जो पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास की खाई को पाट सके।
    - **केरल की जनमैत्री सुरक्षा परियोजना** जैसी पहल को देशव्यापी स्तर पर लागू किया जा सकता है।
- **पुलिस थानों में सीसीटीवी निगरानी:** हिरासत में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने और यातना को रोकने के लिए एनएचआरसी के निर्देशानुसार रात्रि-दृष्टि कैमरे लगाना।
- **पीड़ित संरक्षण कानून:** प्रतिशोध के भय के बिना यातना के मामलों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत पीड़ित और गवाह संरक्षण कानून बनाना।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन पुलिस संस्कृति में बदलाव**: संस्थागत मूल्यों और सामुदायिक सहभागिता में प्रणालीगत परिवर्तन के माध्यम से यातना के संबंध में कई अधिकारियों द्वारा रखे गए नैतिक औचित्य को संबोधित करना।

स्रोत: Indian Express: Human Rights and Wrongs

बढ़ता घरेलू ऋण

संदर्भ

महामारी के बाद के वर्षों में घरेलू ऋण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।

घरेलू ऋण में रुझान -

- **महामारी के बाद तीव्र विकास**:
    - घरेलू ऋण जून 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के 36.6% से बढ़कर जून 2024 में 42.9% हो गया।
    - ऐतिहासिक रूप से, यह 2015-2019 के बीच 33% के आसपास रहा।
- **सभी आय वर्गों में व्यापक**:
    - ऋण वृद्धि केवल समृद्ध समूहों तक ही सीमित नहीं रही - यहां तक कि निम्न आय वाले परिवारों ने भी उधार लेना बढ़ा दिया।
- **व्यक्तिगत और असुरक्षित ऋणों में तीव्र वृद्धि**:
    - बैंकों के व्यक्तिगत ऋणों में 75% की वृद्धि हुई (मार्च 2021-मार्च 2024)।
    - एनबीएफसी और एचएफसी के खुदरा ऋण में 70% की वृद्धि हुई।
    - असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण पुस्तकों में तेजी से वृद्धि हुई: बैंक: 82%, एनबीएफसी: ~130%।
- **अधिक ऋण, अधिक उधारकर्ता(Borrowers)**:
    - सक्रिय ऋणों की उच्च संख्या: कई उधारकर्ताओं के पास 3+ ऋण हैं।
    - छोटे-टिकट वाले व्यक्तिगत ऋण (<₹50,000) वाले 11% उधारकर्ताओं का भुगतान बकाया है।
    - 4+ सक्रिय ऋणों वाले उधारकर्ताओं की संख्या लगभग 6% है।

अंतर्निहित कारण -

- **अपर्याप्त आय वृद्धि**: मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच:
    - प्रयोज्य आय में केवल 43% की वृद्धि हुई, जबकि ऋण वृद्धि 70-75% रही।
    - उपभोग में 49% की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि अंतर को पाटने के लिए ऋण का उपयोग किया गया।
- **कम रोजगार सृजन और मजदूरी वृद्धि**: रोजगार और उत्पादकता में संरचनात्मक मुद्दे परिवारों को जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उधार लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
- **महामारी के बाद**: कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी उपभोग को बनाए रखने के लिए परिवारों ने उधार लेना शुरू कर दिया।
- **ऋण की आसान उपलब्धता:** एनबीएफसी, एमएफआई और बैंकों द्वारा आक्रामक ऋण देना , विशेष रूप से असुरक्षित क्षेत्रों में।
- **असफल या अप्रभावी पहल:**
    - **आरबीआई की अस्थायी सख्ती (नवंबर 2023)**: उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी के लिए बैंक जोखिम पर जोखिम भार बढ़ाया गया।
        - इससे ऋण वृद्धि प्रभावित हुई, लेकिन उपभोग में कमी की चिंताओं के कारण यह अल्पकालिक रहा।

बढ़ते घरेलू ऋण के प्रभाव -

- **भविष्य में खपत में कमी**: अधिक ऋण चुकाने से प्रयोज्य आय में कमी आती है, जिससे खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है।
- **उच्च चूक एवं तनाव के संकेत**: एनबीएफसी पोर्टफोलियो में बढ़ती चूक: स्वर्ण ऋण, वाहन ऋण, असुरक्षित ऋण।
    - बैंकों द्वारा खुदरा असुरक्षित ऋणों की बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि में वृद्धि।

- **ऋण-संचालित विकास पर अत्यधिक निर्भरता**: निजी उपभोग को आय से नहीं, बल्कि ऋण से कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है।
- **निम्न आय वर्ग में वित्तीय कमजोरी:** गरीब परिवार आवश्यक उपभोग के लिए असुरक्षित ऋणों पर अधिक निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनकी वित्तीय कमजोरी बढ़ जाती है।

क्या किया जाने की जरूरत है -

अल्पकालिक नीतिगत उपाय:

- **संतुलित मौद्रिक सहजता**: ब्याज दरों में कटौती + तरलता सहजता के साथ असुरक्षित ऋण विस्तार पर सावधानी बरती जाएगी।
- **ऋण निगरानी को मजबूत करना**: एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा बहु-उधार देने के मानदंडों को कड़ा करना।
- **वित्तीय साक्षरता में सुधार**: जिम्मेदार उधार और ऋण प्रबंधन पर जागरूकता।

मध्यम से दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय

- **आय वृद्धि को बढ़ावा देना:** रोजगार-प्रधान क्षेत्रों (विनिर्माण, एमएसएमई, सेवाएं) पर ध्यान केंद्रित करना।
  - औपचारिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।
- **अनौपचारिक ऋण चैनलों को विनियमित करना**: एनबीएफसी-एमएफआई पर आरबीआई की निगरानी का विस्तार करें और बेहतर ऋण जोखिम प्रोफाइलिंग शुरू करना।
- **ऋण-लिंक्ड परिसंपत्ति निर्माण**: ऋण को उत्पादक उपयोग की ओर पुनर्निर्देशित करना: शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता।
- **सामाजिक सुरक्षा तंत्र में सुधार**: बुनियादी आय सहायता और रोजगार गारंटी सुनिश्चित करें जिससे ऋण पर निर्भरता कम हो।

स्रोत: Indian Express: Living With Debt

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और भारत

संदर्भ

बिम्सटेक के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया।

बिम्सटेक के बारे में -

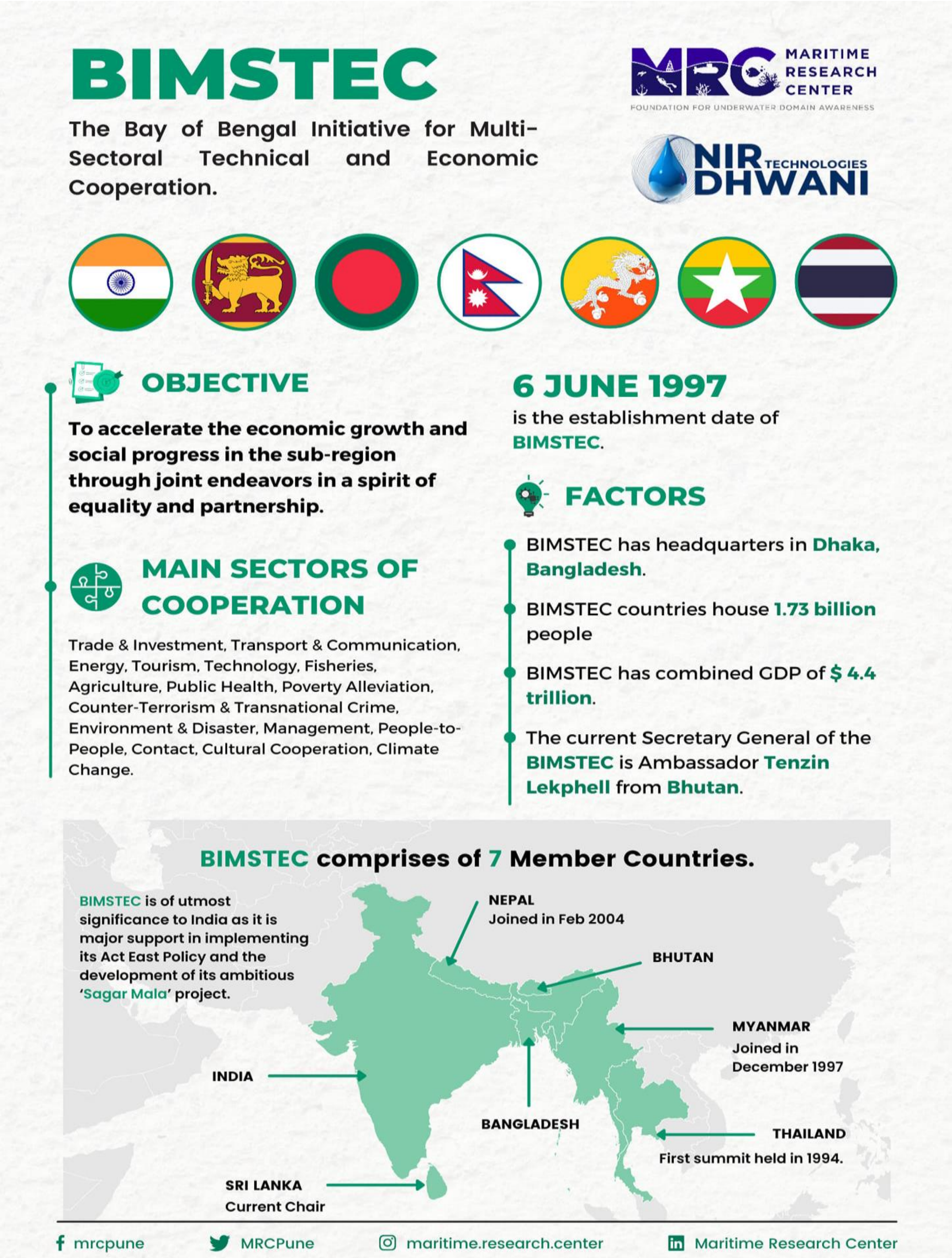

भारत-बिम्सटेक संबंधों में चुनौतियाँ -

- **आर्थिक असमानताएँ**: सदस्य देशों के बीच व्यापक आर्थिक अंतर, जिसमें भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
    - भूटान और नेपाल जैसे छोटे देशों को संयुक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्वयन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - व्यापार असंतुलन कायम है; गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबी) और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां - विशेष रूप से बांग्लादेश द्वारा उठाई गई - समतामूलक व्यापार में बाधा डालती हैं।
- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का अंतराल**: अपर्याप्त परिवहन और संचार नेटवर्क क्षेत्रीय एकीकरण को सीमित करते हैं।
    - कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाएं रसद और परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण विलंब का सामना कर रही हैं।
    - अकुशल सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन से कनेक्टिविटी की समस्या और बिगड़ जाती है।
- **संस्थागत सीमाएं**: बिम्सटेक का संस्थागत ढांचा कमजोर बना हुआ है; ढाका स्थित सचिवालय में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी है।
    - प्रशासनिक अकुशलता के कारण क्षेत्रीय पहलों का खराब कार्यान्वयन और निगरानी।
    - बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते जैसे प्रमुख समझौतों पर धीमी प्रगति इन कमियों को दर्शाती है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** म्यांमार जैसे देशों में अस्थिर राजनीतिक स्थितियां क्षेत्रीय सहयोग और परियोजना निरंतरता को प्रभावित करती हैं।
    - बार-बार सरकार बदलने से बिम्सटेक एजेंडा की दीर्घकालिक योजना और कार्यान्वयन बाधित होता है।
    - सीमा-संबंधी तनाव (जैसे, भारत-म्यांमार) द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों पर दबाव डालते हैं।
- **सुरक्षा खतरे**: बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों से समुद्री सुरक्षा को खतरा है।
    - साइबर खतरों में वृद्धि के लिए संयुक्त साइबर सुरक्षा ढांचे और समन्वय की आवश्यकता है।
- **पर्यावरणीय कमज़ोरियाँ**: चक्रवात और समुद्र के बढ़ते स्तर जैसी लगातार प्राकृतिक आपदाएँ तटीय सदस्य देशों के लिए ख़तरा बन जाती हैं।
    - बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश विशेष रूप से जोखिम में हैं, जिससे संयुक्त आपदा प्रबंधन प्रयासों की आवश्यकता उजागर होती है।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियाँ**: म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देशों में चीन की बढ़ती सामरिक और आर्थिक उपस्थिति भारत के प्रभाव को कमजोर करती है।
    - चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध बिम्सटेक के भीतर नेतृत्व की उसकी आकांक्षाओं को जटिल बना रहे हैं।
- **असमान सदस्य सहभागिता:** कुछ सदस्य देश बिम्सटेक की तुलना में आसियान या सार्क जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों को प्राथमिकता देते हैं।
    - खंडित भागीदारी से असंगत प्रतिबद्धताएं पैदा होती हैं और क्षेत्रीय फोकस कमजोर होता है।

भारत के प्रयास और आगे की राह -

- **उत्कृष्टता केन्द्र की पहल**: भारत ने आपदा प्रबंधन, टिकाऊ परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि नवाचार के लिए विशेष बिम्सटेक केन्द्रों का प्रस्ताव दिया है।
- **बोधि कार्यक्रम**: सदस्य देशों में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा**: भौतिक और ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मल्टी-मॉडल परिवहन गलियारों और क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिडों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति**: क्षेत्रीय पहचान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक खेलों और संगीत समारोहों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना।

स्रोत: Indian Express: Reaching Out